

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 832 / 2014 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 17.09.2014

म.प्र.राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—देवेन्द्र जाटव पुत्र बाबूलाल जाटव, आयु-30 वर्ष,
निवासी—द्वारिकापुरी, वार्ड नम्बर 13, थाना मौ, जिला
भिण्ड, म.प्र.

— अभियुक्त

(आरोप अंतर्गत धारा-354 भा0दं0सं0)

(राज्य द्वारा एडीपीओ— श्री प्रवीण सिकरवार)

(आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री आर.पी.एस. गुर्जर)

निर्णय

(आज दिनांक 12-02-2018 को घोषित)

आरोपी पर दिनांक 15.06.14 को सुबह लगभग दस बजे गोरियन टोला में अभियोक्त्री के घर के पास मौ में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ कर उस आपराधिक बल का प्रयोग कारित करने हेतु भा द स. की धारा 354 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.14 को अभियोक्त्री का बहनोई रूपसिंह एवं आरोपी देवेन्द्र अभियोक्त्री के घर आये थे। घटना दिनांक 15.06.14 को सुबह अभियोक्त्री का पति काम पर चला गया था एवं उसका बहनोई भी किसी काम से बाहर चला गया था तो आरोपी देवेन्द्र जाटव ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था और उससे अंदर चलने के लिये कहा था। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उसके जीजा रूप सिंह एवं माया आ गयी थी तो आरोपी देवेन्द्र घर से भाग गया था। उस समय करीबन दस बजे थे। आरोपी को रूपसिंह ने माया ने भागते हुये देखा था फिर अभियोक्त्री ने पति को घर बुलाकर उसे सारी घटना बतायी थी। तत्पश्चात अभियोक्त्री द्वारा थाना प्रभारी मौ को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना मौ में अपराध क्रमांक 220/14 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण में

विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

3. उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

4. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ हैं:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक 15.06.14 को सुबह लगभग दस बजे गोरीयन टोला में अभियोक्त्री के घर के पास मौ में अभियोक्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?

5. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन की ओर से साक्षी सोनू अ0सा01, डॉ राहुल सिंह अ0सा02, अभियोक्त्री अ0सा0 3, श्रीमती माया अ0सा04, ए एस आई शेषदेव अ0सा0 5, रूपसिंह अ0सा0 6 एवं सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक निहाल सिंह अ.सा. 7 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

6. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री अ.सा. 3 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी देवेन्द्र को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन वर्ष पहले की है। उसके द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी गयी थी। उसे पढ़ना नहीं आता है। उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। लेखीय आवेदन प्र पी 3 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने प्र पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी नहीं लिखायी थी। प्र.पी. 4 की रिपोर्ट पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। नक्शामौका प्र पी 5 पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसका न्यायालय में कोई कथन नहीं हुआ था। कथन प्र पी 6 के ए से ए भाग पर भी उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने अपने लेखीय आवेदन प्र पी 3 एवं पुलिस रिपोर्ट प्र पी 4 में यह बताया था कि आरोपी देवेन्द्र ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे अंदर चलने के लिये कहा था। उक्त साक्षी ने प्र पी 7 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया है। उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसका न्यायालय में कथन हुआ था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि न्यायालयीन कथन प्र पी 6 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने प्र पी 6 का न्यायालयीन कथन भी न्यायालय में न देना व्यक्त किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है।

7. साक्षी सोनू अ.सा. 1 ने भी अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी

ने मात्र गिरफ्तारी पंचनामा प्र पी 1 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र पी 1 बनाया था।

8. साक्षी श्रीमती माया अ.सा. 4 एवं रूपसिंह अ.सा. 6 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं घटना की जानकारी न होना बताया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकड़ा था। माया अ.सा. 4 ने प्र पी 8 का पुलिस कथन एवं रूपसिंह अ.सा. 6 ने प्र पी 9 का पुलिस कथन भी पुलिस को न देना बताया है।

9. सेवानिवृत्त प्रधान आरक्षक निहाल सिंह अ.सा. 7 ने अपने कथन में बताया है कि उसने दिनांक 15.06.14 को अभियोक्त्री द्वारा लेखीय आवेदन पेश करने पर आरोपी के विरुद्ध प्र पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि फरियादिया अपनी सास के साथ थाने आयी थी। फरियादिया ने मौखिक कुछ नहीं बताया था, केवल लेखीय आवेदन दिया था।

10. डॉ० राहुल सिंह अ.सा. 2 ने अभियोक्त्री की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र पी 2 को प्रमाणित किया है एवं ए एस आई शेषदेव अ.सा. 5 ने विवेचना को प्रमाणित किया है।

11. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है। अतः अभियोजन घटना प्रमाणित नहीं है।

12. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री अ.सा. 3 ने अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं व्यक्त किया है कि वह आरोपी देवेन्द्र को नहीं जानती है। उसने कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। उक्त साक्षी ने लेखीय आवेदन प्र पी 3 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 4 पर अपने हस्ताक्षरों से भी इंकार किया है। उक्त साक्षी ने प्र पी 6 का कथन भी न्यायालय में देने से इंकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी देवेन्द्र ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था एवं उसे अंदर चलने के लिये कहा था। उक्त साक्षी ने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि उसने आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने वाली बात लेखीय आवेदन प्र पी 3 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र पी 4 में पुलिस को लिखायी थी। इस प्रकार अभियोक्त्री अ.सा. 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है।

13. साक्षी सोनू अ.सा. 1, श्रीमती माया अ.सा. 4 एवं रूपसिंह अ.सा. 6 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। उक्त सभी साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किये जाने पर भी उक्त सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

14. डॉ० राहुल सिंह अ.सा. 2 द्वारा अभियोक्त्री चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र पी 2 को

प्रमाणित किया गया है, निहाल सिंह अ.सा. 7 द्वारा प्र पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है तथा ए एस आई शेषदेव अ.सा. 5 द्वारा विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी है। अतः प्रकरण में आयी साक्ष्य को देखते हुये उक्त साक्षीगण की साक्ष्य का विश्लेषण किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

15. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री अ.सा. 3 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने के तथ्य से इंकार किया गया है। शेष साक्षी सोनू अ.सा.1, माया अ.सा. 4 एवं रूपसिंह अ.सा. 6 द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी है। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि घटना दिनांक को आरोपी ने अभियोक्त्री की लज्जाभंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़ कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था। ऐसी स्थिति में आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

16. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अभियोक्त्री द्वारा दिये गये लेखीय आवेदन प्र पी. 3 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्र पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी है। अभियोक्त्री अ.सा. 3 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में लेखीय आवेदन प्र पी 3 देने से इंकार किया गया है। अभियोक्त्री अ.सा. 3 द्वारा आवेदन प्र पी 3 एवं प्र पी 4 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों से भी इंकार किया गया है। अभियोक्त्री अ.सा. 3 द्वारा न्यायालयीन कथन प्र पी 6 से भी इंकार किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री अ.सा. 3 के न्यायालय में दिनांक 20.06.14 को द प्र स. की धारा 164 के अंतर्गत कथन प्र पी 6 अंकित किया गया था एवं प्र पी 6 के कथन में अभियोक्त्री ने आरोपी द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ करने वाली बात बतायी थी तथा यह बताया था कि आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा था और उससे अंदर चलने के लिये कहा था। प्र पी 6 के कथन पर न्यायालय द्वारा लगायी गयी टीप से यह भी प्रकट होता है कि उक्त कथन अभियोक्त्री द्वारा स्वेच्छया से दिया गया था एवं अभियोक्त्री द्वारा उक्त कथन का सही होना स्वीकार किया गया था। जबकि न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोक्त्री अ.सा. 3 ने प्र पी 6 का कथन न्यायालय में देने से इंकार किया है एवं प्र पी 6 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होने से भी इंकार किया गया है तथा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अभियोक्त्री ने आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने के तथ्य से भी इंकार किया है जो कि अभियोक्त्री द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाने को स्पष्ट करता है एवं इस बात को दर्शाता है कि अभियोक्त्री अ.सा. 3 न्यायालय के समक्ष जानबूझकर सही कथन नहीं करना चाहती है एवं उसके द्वारा आरोपी को बचाने के उद्देश्य से न्यायालय में मिथ्या साक्ष्य गढ़ी गयी है। ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री अ.सा. 3 के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर मिथ्या साक्ष्य दिये जाने एवं गढ़े जाने के संबंध में पृथक् से कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

17. फलतः उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 15.06.14 को सुबह लगभग दस बजे गोरीयन टोला में अभियोक्त्री के घर के पास मौ में अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। फलतः यह न्यायालय साक्ष्य के अभाव में आरोपी देवेन्द्र जाटव को भा द स. की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

18. आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं।
19. प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

स्थान—गोहद

दिनांक :—12.02.18

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,
खुले न्यायालय में घोषित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)